

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2606/जी.एस.
दिनांक: 19/12/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्रांक: लो०अ०वि०वि०/सम्ब०/१७१/२००६ दिनांक १५-०७-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- ३- यदि संस्था न्याय विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद।

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रका.

आरुकोमिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अमघ विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ, दिनांक: 30 नवम्बर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०आ०वि०वि०/सम्ब०/519/2007, दिनांक 22.10.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) २०२० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल श्री दिनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(22)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निस्तारता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निस्तारता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।

भवदीय,

(आरुकोमिश्र)

अनु सचिव।

संख्या-4326(1)/सत्तर-6-2007, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपुर, जयपुर।
4. अध्यक्ष, श्री दिनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद।
5. निजी सचिव, या० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरुकोमिश्र)

अनु सचिव।

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब/ए०एफ-18(1)/1018/2010, दिनांक 16.09.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद को परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत एम०ए०ड० पाठ्यक्रम में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने तथा अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए ही आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-3856(1)/सत्तर-6-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रमुख, श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

९

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/ 12848-55

/2016-17 दिनांक: 27 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 1785/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 द्वारा निजी संस्थान श्री विनायक पी० जी० कालेज 633, 665 एवं 666 खजुरहट, फैजाबाद को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० / सम्बद्धता/ 12848-55

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० विट्ठिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फैजाबाद।
7. प्रबन्धक/सचिव श्री विनायक पी० जी० कालेज 633, 665 एवं 666 खजुरहट, फैजाबाद।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

MANAGER
SRI VINAYAK MAHAVIDYALAYA
KHAJURAHAAT-FAJABAD (U.P.)